

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)
(Phone Number-0141-2222883 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/एफ.2पार्ट-2(28375)/2024/ 296 दिनांक:- 13/6/24

—:आदेश:—

श्री दिनेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय बांगड चिकित्सालय, पाली को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 21.06.2024 से 26.06.2024 तक कुल 06 दिवस विदेश यात्रा (थाईलेण्ड) जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्ययधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक/कार्मिका विदेश जाने से पूर्व मूख्यम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्त के पश्चात् कार्मिक अपने कर्तव्य पर अविलम्ब उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार लही करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. कार्मिक/कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा/करेंगी।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी/अवैधानिक गतिविधियों से संबंध नहीं रखेगा/रखेगी।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.35(28) / चिस्वा / गुप-3 / 2017 दिनांक 16.11.2017 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन जोधपुर/एफ.2पार्ट-2(28375)/2024/ 296 दिनांक:- 13/6/24
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
2. अधीक्षक, राजकीय बांगड चिकित्सालय, पाली।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा-उनके नियंत्रण अधिकारी। . . .
4. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7908364

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :13-06-2024 10:58:03